

भाग III

हरियाणा सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 मार्च, 2007

संख्या का0 आ0 21/के0 अ0 42/2005/धा0 4/2007.— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 42), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा स्कीम के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम सौ दिनों का गारन्टीड रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाते हैं, अर्थात्:—

अध्याय—I

- स्कीम का नाम। 1. यह स्कीम हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, 2007 कही जा सकती है।
- परिभाषाएँ। 2. इस स्कीम में जब तक, सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, —
- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 42) ;
- (ख) "अपर जिला कार्यक्रम संयोजक" से अभिप्राय है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अपर उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ;
- (ग) "केन्द्रीय नियमों" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम ;
- (घ) "पंचायत अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 11) ;
- (ङ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा ;
- (च) "राज्य कार्यक्रम संयोजक" से अभिप्राय है, ग्रामीण विकास विभाग में इस प्रकार पदाभिहित राज्य सरकार का अधिकारी, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

- (छ) "राज्य नियमों" से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम ;
- (ज) "जिला परिषद", "पंचायत समिति", "ग्राम पंचायत", "ग्राम सभा" के वही अर्थ होंगे, जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम-11) में यथा परिभाषित है ;
- (झ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपविभाषित शब्दोतियां अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं ;

जिले जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा।
(धारा-1)

3. यह स्कीम महेन्द्रगढ़ तथा सिरसा जिलों में जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं में लागू होगी तथा पश्चात्वर्ती भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी अन्य जिले में कार्यान्वित की जाएगी।

उद्देश्य।
(धारा-4)

4. स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
- (क) प्रथम:-स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार जिसके व्यस्क सदस्य अपने आप अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारन्टी के साथ पूरा वर्ष रोजगार उपलब्ध कराते हुए हरियाणा के अधिसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की जीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना है।
- (ख) द्वितीय:- इस स्कीम का द्वितीय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पतियों का सृजन और अवसंरचनात्मक विकास करना है।

राज्य का नोडल विभाग।

5. राज्य स्तर पर राज्य का ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा।

निधिकरण पद्धति।
(धारा-22)

6. स्कीम निम्नलिखित रीति में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सा आधार पर केन्द्रगत प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाएगी -

- (1) अकुशल शारीरिक कामगारों की मजदूरी की सम्पूर्ण लागत, सामग्री और कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी, प्रशासनिक खर्च, जिसमें खण्ड कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक अमले के वेतन तथा भत्ते, कार्य स्थल सुविधाएँ सम्मिलित हैं, का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।
- (2) राज्य सरकार सामग्री तथा कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी, स्कीम के अधीन दिया जाने वाला बेरोजगार भत्ता और राज्य स्तर के प्रशासनिक खर्च, यदि कोई हो, का 25 प्रतिशत वहन करेगी ।

लक्ष्य एकत्र करन। 7 (धारा-5)

- (1) स्कीम उन सभी ग्रामीण परिवारों, जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा अपने गाँव/निवास में चारों ओर शारीरिक तथा अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए प्रभावनीय होगी ।
- (2) यथा सम्भव हों, रोजगार उस गांव, जहां आवेदक आवेदन करते समय निवास करता है, के पांच किलोमीटर की परिधि के अन्दर उपलब्ध करवाया जाएगा ।
- (3) इस स्कीम के अधीन नया कार्य केवल तभी शुरू किया जाएगा, यदि :-
 - (क) ऐसे कार्य के लिए कम से कम पचास श्रमिक उपलब्ध हों ; तथा
 - (ख) श्रमिकों को चल रहे कार्य में समविष्ट नहीं किया जा सकता बशर्ते कि यह शर्त नए कार्यों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में तथा वनरोपण के संबन्ध में निर्धारित की गई हों, के लिए लागू नहीं होगी ।
- (4) यदि रोजगार ऐसी परिधि से बाहर उपलब्ध करवाया जाता है, तो यह खण्ड के अन्दर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और श्रमिकों को मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त परिवहन तथा आवासीय खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में अदा किया जायेगा ।
- (5) रोजगार की अवधि साधारणतया लगातार कम-से-कम चोदह दिनों की होगी, जो एक सप्ताह में छः दिन से अधिक न हो ।
- (6) प्राथमिकता उन कार्यों को दी जायेगी जहां मजदूरी तलाश करने वालों की कम-से-कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी, जो पंजीकृत हैं तथा कार्य के लिए अनुरोध किया है ।
- (7) वे सभी अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति उस ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में वे रहते हैं, जाब कार्ड

[अनुबन्ध-(5)] के जारी करने हेतु अपने परिवारों के पंजीकरण के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

- (8) ग्राम पंचायत ऐसा सत्यापन, जो वह उचित समझे, करने के उपरान्त परिवार को पंजीबद्ध करेगी और एक जाब कार्ड जिसमें परिवार के व्यस्क सदस्यों के ऐसे ब्यौरा हो, जारी करेगी । जाब कार्ड पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । यह आवेदक के लिखित अनुरोध पर नवीकृत या रद्द किया जा सकता है । सभी पंजीकृत व्यक्ति अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने के हकदार हैं और यह स्कीम बहुत से दिनों, के लिए रोजगार हेतु लागू की जाएगी जैसा परिवार का प्रत्येक आवेदक वित्तीय वर्ष में अनुरोध करे ।
- (9) ग्राम पंचायत या खण्ड कार्यक्रम अधिकारी प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवेदक परिवार [अनुबन्ध-(6)] को अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध करवाएगी/करवाएगा ।
- (10) यदि ग्राम पंचायत किसी समय सन्तुष्ट हो कि कोई व्यक्ति मिथ्या सूचना देकर पंजीकृत हुआ है, तो वह रोजगार रजिस्टर से उसका नाम कटवाने हेतु निर्देश देने के लिए खण्ड कार्यक्रम अधिकारी से अनुरोध कर सकती है ।

कार्यक्रम योजना ।
(धारा-16)

8. ग्राम स्तर

- (1) यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आइ.ज़.)के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा । खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों को इस स्कीम के अधीन इसकी लागत के रूप में कार्य आंबटित करेगा । प्रत्येक व्यक्ति, जो स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य करता है तो वह राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कृषि सम्बन्धी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए हकदार होगा । पंचायत साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में जो एक पखवाड़े से कम न हो, मजदूरी का भुगतान करेगी ।
- (2) ग्राम स्तर पर, ग्राम सभा योजना तथा मानीटरिंग से सम्बन्धित कृत्यों की संख्या के लिए उत्तरदायी होगी । ग्राम पंचायत प्रधान योजना तथा कार्यान्वयन अभिकरण है और ग्राम सभा की सिफारिशों अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यों की पहचान के लिए और ऐसे कार्यों को निष्पादित करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगी ।
- (3) ग्राम सचिव अथवा पंचायत द्वारा लगाया गया कार्यकर्ता जाब कार्डों के जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पंचायत को

कर्मचारी के रूप में पदाभिहित भी किया जाता है । ग्राम पंचायत रिकार्ड के रख-रखाव तथा अन्य संबधित कार्य में पंचायत की सहायता के लिए स्थानीय स्नातक की सेवाए ले सकती है । यह व्यवस्था पूर्णतया संविदात्मक आधार पर होगी और यह राशि आकस्मिक निधि के दो प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी ।

(4) गरीबों के ग्राम संगठन, स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब विशेषतः जागरूक निर्माण, संचार, पंजीकरण के लिए ग्रामीण कुटुम्बों की गतिशीलता में और कार्य के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने, कार्यों की पहचान तथा प्राथमिकता इत्यादि में ग्राम पंचायतों को उनके कर्तव्य निर्वहन में सहायता कर सकते हैं ।

(5) धारा 16 (4) के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पूर्व वार्षिक आधार पर योजना के आकार तथा कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय करेगी । ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक वार्षिक योजना तैयार करेगी और कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करेगी । वार्षिक योजना कार्य की वर्तमान मांग, चल रहे कार्य तथा आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य, लागत अनुमान इत्यादि को दर्शायेगी ।

खण्ड स्तर

(6) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी वार्षिक योजना की संवीक्षा इसकी तकनीकी सम्भाव्यता के लिए करेगा । कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव को रद्द नहीं करेगा । यदि प्रस्ताव अधिनियम के पैरामीटर में नहीं है या तकनीकी रूप से असम्भाव्य लगता है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी अभिलिखित करेगा और फिर खण्ड समिति को प्रस्तावों की एक संचित विवरणी प्रस्तुत करेगा । खण्ड समिति ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य रद्द नहीं करेगी, यदि यह अधिनियम के पैरामीटर के भीतर हो ।

(7) पंचायत समिति ग्राम पंचायत द्वारा दर्शायी गई प्राथमिकता को बनाए रखेगी । यदि उन कार्यों, जिनमें एक ग्राम पंचायत से अधिक शामिल हों, की आवश्यकता है, तो ऐसे कार्य पंचायत समिति द्वारा सम्मिलित किए जा सकते हैं । खण्ड के क्षेत्र के लिए योजना पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर को अग्रेषित की जाएगी ।

- (8) यह समस्त अभ्यास प्रत्येक वर्ष जनवरी से पूर्व खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा ।

जिला स्तर

- (9) जिला प्रोग्राम कोआरडिनेटर अपने जिले में स्कीम लागू करेगा। अपर आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर की सहायता के लिए अपर जिला कोआरडिनेटर के रूप पदाभिहित होगा।
- (10) जिला प्रोग्राम कोआरडिनेटर सभी पंचायत समितियों के योजना प्रस्तावों की समीक्षा, सम्भावित मांग के रूप में अर्थात् उनकी तकनीकों तथा वित्तीय सम्भाव्यता के कार्यों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता का परीक्षण करेगा। जिला प्रोग्राम कोआरडिनेटर अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से कार्य प्रस्ताव को आमंत्रित तथा परीक्षण भी करेगा, किन्तु ऐसा करने में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों की प्राथमिकता को बनाए रखेगा। वह विचार विमर्श किए जाने वाले जिला योजना प्रस्ताव में इन सभी प्रस्तावों को समेकित करेगा/करेगी तथा जिला परिषद द्वारा अनुमोदित होगी।
- (11) वह समस्त अभ्यास प्रत्येक वर्ष फरवरी की समाप्ति से पूर्व जिला प्रोग्राम कोआरडिनेटर द्वारा पूरा किया जाएगा।

फोकस क्षेत्र-कार्य
की किस्म।
(धारा-4)

9. प्रोग्राम का फोकस निम्नलिखित कार्यों पर उनके पूर्वता-क्रम में होगा:-
- (i) जल संरक्षण तथा जल एकत्रण ; उदाहरण के लिए कुण्डों, रोक बांधों, अंतःस्रवण टंकियों, तालाबों, वर्षा जल एकत्रण संरचनाओं का उत्खनन तथा निर्माण।
- (ii) जलाभाव की जांच करना। वनरोपण तथा पेड़ लगाना, उदाहरण के लिए-जल विभाजक परिवर्धन के सभी घटक, वनरोपण तथा पेड़ लगाना, श्रम गहन घेराबन्दी, नर्सरी उगाना, सांझा भूमियों में बागवानी तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियां।
- (iii) सुक्ष्म तथा लघु सिंचाई संकर्मों सहित सिंचाई नहरें जैसे कि लघु सिंचाई वाहिकाओं, नहरों, जल वितरक नदियों की गाद निकालना, लघु सिंचाई कुण्डों, फीडर वाहिकाओं का निर्माण तथा श्रम गहन सिंचाई संरचनाओं का सृजन।
- (iv) अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधारों के लाभभोगियों की भूमि या भारत सरकार

की इन्दिरा आवास योजना के अधीन उन लाभभोगियों के लिए सिंचाई सुविधा की व्यवस्था।

- (v) कुण्डों की गाद निकालने सहित परम्परागत नदियों की मुरम्मत ; सामुदायिक पेयजल कुएं, उत्खनित कुएं, छिद्र कुएं तथा कुण्डों की गाद निकालना। उत्खनन सहित नदियों की मुरम्मत।
- (vi) ग्राम पंचायत या अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित परिवारों, भूमि सुधारों के लाभभोगियों, इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभभोगियों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि का भूमि विकास, खेल मैदानों का विकास, ग्रामीण मार्किटों के लिए तथा अन्य स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्ति सृजित करने के लिए भूमि का विकास।
- (vii) जलाकान्त क्षेत्रों में जल-निकास सहित बाढ़ नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान अस्थायी जल-निकास श्रम गहन संरचनाओं को सृजित करना भी शामिल है।
- (viii) सभी मौसमों की पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण सम्बद्धता। सड़कों के निर्माण में जहां आवश्यक हो पुलिया भी शामिल हैं तथा गांव के क्षेत्र के भीतर नालियों को भी साथ-साथ लिया जा सकता है।
- (ix) राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके कोई अन्य कार्य अधिसूचित कर सकती है।

परिवेदना निवारण।
(धारा-19)

- 10(1)** यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई विवाद या शिकायत होती है, तो मामला खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत उस द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा विवादों तथा शिकायतों का निपटान उनकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर करेगा तथा यदि यह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समाधान किए जाने वाले मामले से संबन्धित है, तो यह ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता के सूचनाधीन भेजी जाएगी।
 - (3) शिकायत सैल राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर शिकायतों को सुनने के लिए गठित किया जाएगा।
 - (4) स्थानीय हिताधिकारी समिति उनके अधिकारों तथा हक तथा उन तक उनकी पहुंच के प्रभावी सन्धियोजन के लिए गठित की जाएगी।

- (5) शिकायत रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय/खण्ड कार्यालय तथा जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर कार्यालय में रखे जाएंगे (अनुबन्ध xiv)।
- (6) किसी शिकायत के लिए दी जाने वाली देय-पावती।

सूचना का अधिकार।
(धारा-4)

- 11(1)** जनता के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधाओं के माध्यम से तथा प्रोत्साहक सामाजिक लेखा-परीक्षा तथा सतर्कता में अन्तर्वलित नागरिकों तथा कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तरों में उत्तरदायित्वता के प्रवर्तन द्वारा अधिक भागीदारी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी स्कीम की योजना, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन करने का उद्देश्य है।
- (2) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी लोक सूचना अधिकारी होगा तथा वह सत्यापन के लिए दस्तावेजों /रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों की बिक्री ऐसे मूल्यों पर करेगा जो जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर द्वारा नियत किया जाएगा।

अध्याय—II

पंजीकरण

योग्यता।
(धारा—5)

12 (1) स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा राज्य के जिलों के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए प्रभावनीय होगी। परिवार के रूप में एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार है। स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ हैं :—

(क) पंचायत का स्थानीय निवासी हो।

(ख) स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार के रूप में स्वयं को रजिस्टर करवाये।

(ग) ग्राम पंचायत से परिवार जॉब कार्ड प्राप्त करे।

(घ) जॉब कार्ड के आधार पर कार्य के लिए आवेदन करे।

(ङ.) अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो।

(2) जो महिलाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं और स्कीम के अन्तर्गत कार्य के लिए अनुरोध कर चुकी हैं, प्राथमिकता प्राप्त करेगी और श्रम का 1/3 महिलाओं में से होगा।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों से किसी अपंग व्यक्ति को, जिसने कार्य के लिए प्रार्थना की है, प्राथमिकता दी जायेगी। उन्हें सेवाओं के रूप में स्कीम के अभिन्न अंग के तौर पर काम के अवसर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

पंजीकरण।
(धारा—5)

13(1) परिवार का कोई व्यस्क सदस्य, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, ग्राम पंचायत या खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) पंजीकरण वर्ष भर किया जायेगा।

(3) पंजीकरण के लिए आवेदन अनुबन्ध -1 के अनुसार होगा ।

सत्यापन ।
(धारा-5)

- 14(1) सम्बन्धित ग्राम पंचायत आवेदन के विषय-वस्तु को सत्यापित करेगी तथा चयनित प्रार्थना पत्र उनका अनुमोदन प्राप्त करनेके लिए ग्राम सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।
- (2) सत्यापन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पूर्ण की जायेगी ।
- (3) ग्राम पंचायत सत्यापन के पश्चात् ग्राम पंचायत के पंजीकरण रजिस्टर में सभी विवरणों को प्राप्ति की तिथि सहित दर्ज करेगी (अनुबन्ध-1A) ।
- (4) प्रत्येक पंजीकृत परिवार को सरकार द्वारा विद्वित कोडिंग व्यवस्था के अनुसार पंजीकरण संख्या दी जायेगी । पंजीकरण की प्रतियाँ खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को अन्य पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर को निःश्रेणी को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से भेजी जायेगी ।
- (5) ग्राम पंचायत अनुबन्ध-1A में दर्शाये गए प्रपत्र में पंजीकरण-कम-रोजगार रजिस्टर में सभी विवरण दर्ज करेगी ।

जाब कार्ड ।
(धारा-5)

- 15(1) ग्राम पंचायत प्रत्येक आवेदन को जॉब कार्ड जारी करेगी जो पंजीकृत किए गए हैं । ग्राम पंचायत एक परिवार जॉब कार्ड बनाये रखेगी ।
- (2) जाब कार्ड पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसमें कार्य के योग्य सदस्यों के परिवर्धन तथा विलोप के लिए प्रावधान होगा । किसी भी परिवार में मृत्यु या सदस्य के स्थायी निवास में परिवर्तन के रूप में विलोप, यदि कोई हो तो सम्बन्धित परिवार द्वारा तुरन्त उसकी रिपोर्ट की जानी है । ग्राम पंचायत पंजीकरण के रूप में उसी रीति में वार्षिक अपडेशन के प्रयोग का भी वचन देगी । पंजीकरण रजिस्टर में किए गए सभी परिवर्धनों तथा विलोपों की संख्या की रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी को की जायेगी ।
- (3) जॉब कार्ड अनुबन्ध IV के अनुसार होगा ।
- (4) कोई कार्ड धारक कार्ड के गुम या नष्ट होने की दशा में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है । ग्राम पंचायत आवेदन पर कार्यवाही करेगी और सम्यक् सत्यापन के बाद डुप्लीकेट कार्ड जारी करेगी ।
- (5) किए गए सभी भुगतान केवल मूल जॉब कार्ड में दर्ज किए जाएंगे जाब कार्ड के बिना कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

अध्याय—3

मजदूरी और कार्यक्रम प्रबन्ध

कार्यक्रम के अन्तर्गत
मजदूरी।
(धारा—6)

- 16(1) हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के अधीन मजदूरी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कृषि सम्बन्धी न्यूनतम मजदूरी की दर पर दी जाएगी ।
- (2) पुरुष और महिला कामगारों को समान मजदूरी दी जाएगी ।
- (3) यदि किसी स्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के साथ आये छः वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों की संख्या पांच या अधिक हो, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए एक ऐसी महिला कामगार को लगाया जाएगा । उक्त कार्य के लिए लगाए गए व्यक्ति को कृषि सम्बन्धी न्यूनतम मजदूरी दर दी जाएगी ।
- (4) मजदूरी ग्रामीण अनुसूचित दरों द्वारा यथा निर्धारित कार्य के परिणाम के अध्यधीन होगी ।
- (5) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या किसी भी स्थिति में उस तिथि जिसको ऐसा कार्य किया गया था के बाद एक पखवारा के बाद नहीं होना चाहिए ।
- (6) पीने का पानी, बच्चों और कामगारों के लिए शैड, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जिसमें छोटी चोटों तथा कार्यों से सम्बन्धित अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकाल इलाज के लिए पर्याप्त सामग्री जैसी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रबन्ध प्रत्येक कार्य स्थल पर होना चाहिए । अधिनियम में यथा उपदर्शित कार्य स्थल सुविधाओं की लागत कार्यक्रम लागत के भाग के रूप में शामिल होगी तथा इसलिए प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमानित लागत में शामिल किया जाना है ।

बेरोजगार भत्ते का
भुगतान।
(धारा—7)

- 17(1) यदि स्कीम के अधीन रोजगार के लिए एक आवेदक को रोजगारके लिए दिए गए प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या उस तिथि में जिसको रोजगार दिए जाने की अग्रिम प्रार्थना की गई है, जो भी बाद में हो, रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार होगा। देय बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम तीस दिन के लिए मजदूरी दर का एक-चौथाई और

वित्तीय वर्ष की बची हुई अवधि के लिए मजदूरी दर का आधे से कम न हो, की दर पर परिवार के हक के अध्यक्षीन परिवार के आवेदकों को भुगतान किया जाएगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान परिवार को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए ग्राम पंचायत की देयता समाप्त हो जाएगी, ज्योंहि –

(क) आवेदक को ग्राम पंचायत या खण्ड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्य के लिए या तो स्वयं या उसके परिवार के कम-से-कम एक व्यस्क सदस्य द्वारा रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया हो ; अथवा

(ख) अवधि जिस के लिए रोजगार तलाश किया गया है, समाप्त हो जाये और आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार के लिए न आए ; अथवा

(ग) आवेदक के व्यस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के भीतर कम-से-कम कुल सौ दिन का कार्य प्राप्त कर लिया हो ; अथवा

(घ) आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर इतना कमा लिया हो, जो वित्तीय वर्ष के दौरान सौ दिन के कार्य की मजदूरी के बराबर हो ।

(3) एक आवेदक के परिवार को देय बेरोजगारी भत्ता ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत तथा वितरित किया जाएगा और नकद भुगतान किया जायेगा ।

(4) बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक भुगतान उस तिथि, जिसको यह भुगतान के लिए देय हुआ, से पन्द्रह दिन से कम न हो, किया अथवा दिया जायेगा ।

क्षतिपूर्ति।
(धारा-5)

18 (1) यदि योजना के अधीन लगे किसी व्यक्ति को उसके रोजगार के अनुक्रम में हुई दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत जख्म हो जाए, तो वह ऐसे चिकित्सा उपचार जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय हैं, निशुल्क इलाज का पात्र होगा ।

(2) जहां जख्मी कामगार को अस्पताल में दाखिल करना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार ऐसे अस्पताल में रखने का प्रबन्ध करेगी जिसमें आवास, ईलाज दवाईयों तथा दैनिक भत्ते की अदायगी जो मजदूरी दर के आधे से कम न हो, भुगतान की जानी आवश्यक होगी, जब घायल कार्य में लगा था ।

- (3) यदि योजना के अधीन लगे व्यक्ति की रोजगार के अनुक्रम में तथा उससे उत्पन्न दुर्घटना द्वारा मृत्यु हो जाए या स्थाई तौर से अपंग हो जाए तो उसे राज्य सरकार द्वारा पच्चीस हजार रूपए, की दर से अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जायेगा, तथा यह राशि मृतक या अपंग, जैसी भी स्थिति हो, के कानूनी उत्तराधिकारियों को अदा की जायेगी ।

निधि प्रवाह ।
(धारा-21)

- 19(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा 'राज्य रोजगार गारन्टी निधि',के नाम से निधि स्थापित करेगी, तथा नियमों के अनुसार ,खर्च तथा प्रशासित की जाएगी। राज्य रोजगार गारन्टी निधि राज्य सरकार की ओर से सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा धारित तथा प्रशासित की जाएगी ।
- (2) ज्यों ही भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती हैं, राज्य सरकार केन्द्रीय निधि जारी होने की पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर राज्य रोजगार गारन्टी निधि के लिए अनुपातिक राशि जारी करेगी । सचिव, ग्रामीण विकास, जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर को अपेक्षित निधियां जारी करेगा ।
- (3) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर खण्ड कार्यक्रम अधिकारी तथा ग्राम पंचायत को क्रम से निधियां जारी करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए खण्ड कार्यक्रम अधिकारी तथा ग्राम पंचायत बैंक में रोजगार गारन्टी निधि रखेगी ।
- (4) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर धनराशि का एक भाग अपने पास रखेगा जिसे "जिला गारन्टी निधि" कहा जाएगा । जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर इस निधि तथा इसके उचित उपयोग के लिए भार साधक होगा ।
- (5) यदि कार्यकारी अभिकरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन रोजगार की सम्बद्ध अनुसूची में अधिसूचित दर पर रोजगार की किसी श्रेणी के लिए मजदूरी अदा नहीं करते, तो जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर उस कार्यान्वयन अभिकरण को आगे जारी की जाने वाली निधियों को रोकेगा तथा उक्त अधिनियम के अधीन दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कारवाई करेगा तथा राज्य सरकार को भी सूचित करेगा ।
- (6) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर पहले जारी की गई निधियों का 60 प्रतिशत उपयोग करने के बाद केन्द्र तथा राज्य निधियों की अगली किश्त का दावा करेगा। प्रस्ताव विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया

जाएगा तथा निधि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित शर्तों के अध्याधीन जारी की जाएगी।

कार्यों का प्रशासनिक,
तकनीकी अनुमोदन,
निष्पादन तथा
तकनीकी निरीक्षण।
(धारा-4)

- 20(1) ग्राम पंचायत तीन लाख रूपये तक के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सशक्त होगी।
- (2) पंचायत समिति कार्यों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में पांच लाख रू0 तक के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सशक्त होगी।
- (3) इसी प्रकार, जिला परिषद दस लाख रू0 तक के कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सशक्त होगी।
- (4) यदि प्रशासनिक स्वीकृति कार्य सम्बन्धित विभाग या अन्य संगठन द्वारा निष्पादित किया जाना है तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनके उक्त वर्णित अधिकारिता क्षेत्रों में जारी की जाएगी।
- (5) सरपंच, ग्राम पंचायत कार्यकर्ता तथा पंचायत द्वारा नामांकित किए जाने वाला एक पंच तीन लाख रू0 तक की निधि निकलवाने के लिए चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा।
- (6) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, अध्यक्ष, पंचायत समिति तथा उपमण्डल अधिकारी (पंचायती राज) पांच लाख रू0 तक की निधि निकलवाने के लिए चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा।
- (7) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर तथा अपर जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर दस लाख रू0 तक की निधि निकलवाने के लिए चैक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा।
- (8) सभी तकनीकी पहलुओं, जिसमें कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, निष्पादन तथा तकनीकी निरीक्षण की जिम्मेवारी विभाग की इंजीनियरिंग शाखा की होगी तथा ना कि किसी भी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की, शामिल है।

निर्हकितता।
(धारा-9)

21(1) कोई आवेदक जो -

- (क) योजना के अधीन उसके परिवार को प्रदान किए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता ; अथवा
- (ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अधिसूचित किये जा रहे पन्द्रह दिनों के भीतर कार्य हेतु उपस्थित नहीं होता ; या
- (ग) सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण से बिना अनुमति प्राप्त किए एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी मास में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन तीन मास की अवधि के लिए देय बेरोजगारी भत्ता दावा करने का पात्र नहीं होगा । किन्तु इस योजना के अधीन किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए हकदार होगा ; या
- (घ) यदि ग्राम पंचायत किसी समय सन्तुष्ट है कि कोई व्यक्ति मिथ्या सूचना प्रस्तुत करके पंजीकृत हुआ है, तो वह खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को अवसर देने का अनुरोध कर सकती है कि उसका नाम सुनवाई का अवसर देने का सम्यक् अवसर देने के बाद काट दिया जाएगा ।

मजदूरी तथा गैर
मजदूरी अनुपात ।
(धारा-4)

22. सामग्री की लागत जिसमें योजना के अधीन कुशल तथा अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी शामिल है, वित्तीय वर्ष के दौरान जिला स्तर पर कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

मस्टर-रोल ।
(धारा-4)

- 23 (1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत व अन्य कार्यान्वयन अभिकरण को निम्नलिखित उपलब्ध करेगा :-

(क) इस द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्यों के लिए मस्टर-रोल ; तथा

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्य जगह उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूची ; तथा

(ग) प्रत्येक कार्य के लिए अलग से मस्टर-रोल का रख रखाव किया जाएगा, जिसमें कामगारों को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण दिया गया हो । सभी कार्यों के लिए मस्टर-रोल में अनुसूचित जातियों / महिलाओं तथा अन्य, जिन्हें रोजगार उपलब्ध किया गया है, की संख्या तथा विवरण दर्शाते हुए प्रविष्टियाँ होंगी । जो मस्टर-रोल तैयार करने के लिए जिम्मेवार हैं, वे इन प्रविष्टियों के लिए भी जिम्मेवार होंगे ।

- (2) मजदूरी के असंदाय या न्यून संदाय या किसी हस्त कौशल को रोकने के लिए मस्टर-रोल सिले हुए रूप में रखे जाएंगे तथा इसके सभी पृष्ठ क्रमानुसार सांख्यिकित होने चाहिए (अनुबन्ध IX से XII) ।

- सामाजिक लेखा परीक्षा।
(धारा-17)
- 24(1) ग्राम सभा गांव के भीतर कार्यों के निष्पादन को मानीटर करेगी। ग्राम सभा द्वारा पंचायत कार्य का नियमित रूप से सामाजिक लेखा-परीक्षा परियोजनाओं के किए गए पंचायत कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा नियमित तौर पर संचालित की जाएगी। स्कीम के अधीन परियोजनाएं ग्राम पंचायत के भीतर की जाएंगी।
- (2) ग्राम पंचायत सभी सम्बद्ध दस्तावेज उपलब्ध करेगी, जिसमें ग्राम सभा की सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन करने के उद्देश्य के लिए मस्टर-रोल, बिल, वोचर, माप-तोल पुस्तिकाएँ, स्वीकृत आदेशों की प्रतियां और अन्य सम्बन्धित लेखा पुस्तिकाएँ तथा कागज शामिल है।
- भौतिक व वित्तीय लेखा परीक्षा।
(धारा-24)
- 25(1) योजना के अधीन कार्यों का भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा दोनों अनिवार्य है। यह प्रत्येक जिला प्रोग्राम कोआरडिनेटर द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वित की जानी चाहिए। लेखा-परीक्षा या तो स्थानीय लेखा परीक्षक या राज्य सरकार के पैनल में सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट या राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही करने के साथ-साथ निधियों की दूसरी किश्त देने के लिए प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। लेखा परीक्षक ऐसी की गई कार्यवाही टिप्पणी की पुष्टि करेगा।
- (2) लोगों की सभी मांग पंजीकरण, रोजगार कार्ड्स, सूची के ब्यौरे जिन्हें रोजगार दिया गया है/नहीं दिया गया है, भुगतान करने, कार्य की अवधि, खर्च, सामग्री, सृजित मानव दिवस, स्थानीय समिति की रिपोर्ट, मस्टर-रोल की प्रतियां तीन मास में एक बार ग्राम सभा के सम्मुख रखी जाएंगी।
- सृजित परिसम्पतियों का अभिलेख।
(धारा-4)
26. प्रत्येक जिला परिषद/समिति/गांव पंचायत परियोजना के शुरू करने की तिथि तथा पूर्ण करने की तिथि, अन्तर्वर्तित लागत, प्राप्त किया गया लाभ, सृजित रोजगार तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरों का विवरण देते हुए कार्यक्रम के अधीन सृजित परिसम्पतियों की सम्पूर्ण सम्पति सूची बनाए रखेगी। इनके विस्तृत विवरण देते हुए कार्यों के नजदीक प्रदर्शित करेगी। कार्य की फोटोग्राफी रिकार्ड कार्यान्वयन के शुरू करने से पूर्व,

के दौरान तथा पूरा करने के बाद कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर को भी रखा जाएगा।

संविदाकार तथा श्रम विस्थापन मशीनों पर प्रतिबन्ध करना।
(धारा-4)

27(1) कार्यक्रम के अधीन किन्हीं कार्यों के निष्पादन के लिए संविदाकारों के विनियोजन पर प्रतिबंध है। कोई भी विचौला या कोई अन्य मध्यस्थ एजेन्सी कार्यक्रम के अधीन कार्य नियोजित नहीं होगा। भुगतान की जाने वाली मजदूरी का पूरा लाभ कामगारों को मिलेगा तथा कार्यों की लागत में ऐसे संविदाकारों, विचौलों या मध्यस्थ एजेन्सी को भुगतानयोग्य कोई कमीशन प्रभार सम्मिलित नहीं होगा। श्रम विस्थापन मशीनों का प्रयोग कार्यक्रम के अधीन अनुज्ञात नहीं है।

(2) यदि यह रिपोर्ट है कि ठेकेदारों तथा श्रम विस्थापन मशीनें लगाई गई हैं, तो जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर निष्पादन एजेन्सियों को निधियों को आगे जारी करने पर रोक लगा देगा तथा निधियों का दुरुपयोग करने के लिए दोषी कर्मचारी या गैर कर्मचारी के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

अन्य कार्यक्रमों के साथ समरूपता/सामंजस्य स्थापित करना।
(धारा-4)

28. अन्य स्रोतों से निधियों के साथ स्कीम की समरूपता टिकाउ परिसम्पतियों के सृजन के लिए अनुज्ञेय है। यद्यपि अन्य स्रोतों से पंचायती राज संस्था के पास उपलब्ध निधियां जैसेकि राष्ट्रीय तथा राज्य वित्त आयोग, राज्य विभागों, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड प्रशासन तथा केन्द्रीयगत परियोजित ग्रामीण विकास स्कीमें जहां तक साध्य हों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 42) के अधीन अनुज्ञेय टिकाउ सामुदायिक परिसम्पतियां/कार्यों के निर्माण के लिए सामंजस्य स्थापित करेंगी।

स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति।
(धारा-4)

29. राज्य सरकार इस योजना में संशोधन, उपान्त्रण, अनुपूरक अधिसूचनाएं, कार्यकारी हिदायतें जारी करने तथा अधिनियम (2005 का अधिनियम 42) केनिर्बाध कार्यान्वयन के लिए स्कीम से संबधित स्पष्टीकरण करने की शक्ति होगी।

अध्याय - 4

आयोजना, कार्य और निष्पादन

भावी योजना।
(धारा-14)

- 30 (1) जिले के लिए एक पंचवर्षीय भावी योजना तथा ग्राम पंचायतवार, खण्डवार सैल्फ ऑफ प्रोजैक्ट, जिसमें ग्राम विकास योजना सम्मिलित हो, श्रम मांग का अनुमान तथा मांग के उत्तर में कार्यों के अनुमान शामिल करते हुए योजना के अधीन तैयार की जाएगी। भावी योजना वर्तमान अवसंरचना सुविधाओं तथा श्रम मांग के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की आवश्यकताओं की सूची की भी व्यवस्था करेंगी। भावी योजना दीर्घकालीन योजना के ढांचे के तौर पर कार्य करेगी। लेकिन यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए कार्यों के नए क्षेत्रों के उत्तर के लिए पर्याप्त लचीली होगी।
- (2) भावी योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन सम्भावित संसाधनों का प्रवाह तथा श्रम मांग को सृजन तथा लुप्त ढांचे की अवसंरचना के सृजन के लिए पंचायत-वार संसाधनों की अपेक्षाएं सूचीबद्ध की जाएंगी।
- (3) प्रारूप योजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो ग्राम सभा द्वारा उपान्त्रण सहित यह अनुमोदित की जाएगी।
- (4) ग्राम पंचायत प्राथमिकता निर्धारित करेगी, ताकि श्रम की मांग सहित रोजगार अवसरों के अनुरूप हो सके।
- (5) कार्य, जो किसी अन्य चल रही केन्द्रीय स्कीमों या भावी योजना के भीतर आने वाली राज्य योजनाओं के अधीन उपलब्ध साधनों में प्रारम्भ किए जा सकते हैं, सम्बन्धित योजनाओं के अधीन किए जाएंगे।
- (6) संचित भावी योजना, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों की भावी योजनाएं शामिल हों, खण्ड स्तर पर तथा सभी खण्ड स्तर की योजनाएं जिला स्तर पर संकलित की जाएंगी।
- (7) भावी योजना में राज्य और/अथवा अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य किए जाने वाले सभी प्रस्तावित कार्य शामिल होंगे। उस स्थिति में सामग्री घटक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम निधि से अकुशल काम वाली उन योजनाओं और मजदूरी घटक से पूर्ण तौर पर पूरे किए जाएंगे, अतः उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त निधियों से अधिक परिसम्पतियों का सृजन समर्थ हो सके।

वार्षिक कार्य योजना।
(धारा-14)

- 31 (1) वार्षिक कार्य योजना का आकार तथा कार्यों की प्राथमिकता वार्षिक आधार पर रोजगार की मांग के दृष्टिगत निर्णित किए जाएंगे।
- (2) ग्राम पंचायत आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित संख्या तथा श्रम के लिए मांग का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की बैठक बुलाएगी। ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष 30, दिसम्बर से पूर्व खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को अपना प्रस्ताव अग्रेषित करेगी। पंचायत के प्रस्ताव में कार्य की वर्तमान मांग, पूर्व वर्ष में मांग, पूर्व वर्ष में लिए गए कार्यों, चल रहे कार्यों तथा आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों, लागत अनुमान तथा प्रस्तावित कार्यान्वयन अभिकरणों का ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा।
- (3) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत की योजना की संविक्षा करेगा और उसे खण्ड योजना में समेकित करेगा ताकि अनुमोदन के लिए जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर को प्रस्तुत की जा सके। यह अभ्यास जनवरी से पहले पूर्ण किया जाएगा।

- (4) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर वित्तीय आश्वासन और तकनीकी सम्भावता के संदर्भ में सभी ग्राम पंचायतों की प्रस्तावित योजना की जांच करेगा। वह जिला योजना में सभी खण्डों की योजनाओं को समेकित करेगा। वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करवाने का अभ्यास प्रति वर्ष फरवरी के अन्त तक पूर्ण किया जाएगा।
- (5) पंचायत समिति एक से अधिक ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके कार्यों को करने का सुझाव दे सकती है। इसी तरह जिला परिषद एक से अधिक खण्डों की भागीदारी हो, को सम्मिलित करके कार्यों को करने का सुझाव दे सकती है।
- (6) चुने गए कार्य श्रम प्रधान होंगे। सामग्री के अत्यधिक संघटक वाले कार्य तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, जब तक कि सामग्री संघटक की अधिक लागत अन्य कार्यक्रम की निधियों से उपलब्ध न हो जाए।

कार्यान्वयन प्राधिकारी।
(धारा-14)

- 32(1) जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर स्कीम के अधीन कार्यान्वयन प्राधिकारी होगा।
- (2) खण्ड स्तर पर, खण्ड कार्यक्रम अधिकारी कार्यान्वयन प्राधिकारी होगा।
- (3) संबन्धित ग्राम पंचायत संसाधन में अपने हिस्से के लिए क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकारी होगी तथा स्कीम का आयोजन तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगी। ग्राम पंचायत में लागत के रूप में कार्य का कम से कम पचास प्रतिशत निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत को आबंटित होंगे।
- (4) अन्य निष्पादन अभिकरणों में खण्ड समितियां, जिला परिषदें, केन्द्र तथा राज्य सरकार के अन्य विभाग, सहकारी सोसाईटियां, पब्लिक सैक्टर हो सकते हैं। निष्पादन एजेन्सी का चयन तकनीकी निपुणता, संसाधन, कार्य को करने की क्षमता, कार्य की ख्याति तथा लाभार्थियों की भरपूर रूचि के आधार पर होगा।

रोजगार रजिस्टर का
रख-रखाव।
(धारा-5)

- 33(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर अपने संघटक के अधीन कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए एक रोजगार रजिस्टर रखेगी, जिसमें स्कीम के अधीन प्रत्येक कार्य के लिए लगाए गए व्यक्तियों की संख्या, कर्मकारों के लिंग तथा बताए गए मानवदिवसों की संख्या का ब्यौरा होगा। यह जानकारी कार्य अनुसार रखे जाने वाले मस्टर-रोलों पर आधारित होगी। रजिस्टर जांच हेतु लोगों के लिए खुला होगा।
- (2) इसी तरह अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के अपने संघटक के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर उन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के लिए एक रोजगार रजिस्टर भी रखेंगी। उपलब्ध करवाए गए रोजगार के ब्यौरे की प्रतियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी को (अनुबन्ध -VIII) में भेजी जानी हैं।

अध्याय – 5

प्रबन्धन स्तर

राज्य स्तर।
(धारा-14)

- 34(1) सचिव, ग्रामीण विकास, राज्य स्तर पर हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु आयुक्त के रूप में कार्य करेगा। वह अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगा।
- (2) निदेशक, ग्रामीण विकास, स्कीम से सम्बन्धित सभी मामलों में सचिव को सहायता देगा।
- (3) राज्य स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग तथा समीक्षा के प्रयोजन के लिए जिसके निम्नलिखित व्यापक कर्तव्य तथा कृत्य होंगे राज्य सरकार हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम परिषद का गठन करेगी :-
- (क) स्कीम से सम्बन्धित सभी मामलों और राज्य में इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार को सलाह देना ;
- (ख) अधिमत कार्यों को अवधरित करना ;
- (ग) समय-समय पर मॉनिटरिंग तथा निवारण प्रक्रिया की समीक्षा करना तथा सुधारों की सिफारिश करना;
- (घ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन स्कीम के बारे सूचना के विस्तृत सम्भव प्रसार को बढ़ावा देना;
- (ङ) राज्य में इस अधिनियम तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग तथा केन्द्रीय परिषद के साथ ऐसे कार्यान्वयन में समन्वय करना;
- (च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के सम्मुख रखे जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;
- (छ) कोई अन्य कर्तव्य या कृत्य जो केन्द्रीय परिषद या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपा जाए;
- (ज) राज्य में चल रही स्कीमों का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े ग्रहण करने या संगृहित करवाने तथा राज्य में स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रारम्भ करना ;
- (झ) परिषद की रचना के साथ-साथ निर्वहन तथा शर्तें राज्य सरकार द्वारा बाद में जारी की जाएंगी।

जिला स्तर।
(धारा-14)

35. जिला कार्यक्रम कोओरडिनेटर के कर्तव्य तथा कृत्य निम्न अनुसार होंगे –
- (क) अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन जिला परिषद को इसके निम्नलिखित कृत्यों में निर्वाहन करने में सहायता करना ;
 - (ख) खण्डों द्वारा तैयार की गई योजनाओं तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले सैल्फ आफ प्रोजैक्ट्स में अंतर्वेशन करने हेतु समेकित करना;
 - (ग) जहां भी कहीं आवश्यक हो, आवश्यक स्वीकृति और प्रशासनिक समाशोधन प्रदान करना;
 - (घ) अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय करना तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों में यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अधीन आवेदकों को उनकी हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाता है;
 - (ङ.) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्य की समीक्षा, मानीटर तथा पर्यवेक्षण करना
 - (च) चल रहे कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करना,
 - (छ) आवेदकों की शिकायतों का निवारण करना;
 - (ज) प्रत्येक वर्ष फरवरी मास के अन्त से पहले अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक श्रम बजट, जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए प्रत्याशित मांग के ब्यौरे तथा इस स्कीम के अधीन आने वाले कार्यों पर श्रमिकों को लगाने की योजना शामिल हो, अंतर्विष्ट करना तथा जिला परिषद को भेजना।

खण्ड स्तर।
(धारा-15)

- 36 (1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी के कर्तव्य तथा कृत्य निम्न अनुसार होंगे –
- (i) उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों के साथ रोजगार की मांग को मिलाने की जिम्मेवारी।
 - (ii) अधिनियम के उपबन्धों के प्रावधानों तथा राज्य द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार तथा रोजगार के लिए मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आवेदकों के पंजीकरण का समस्त पर्यवेक्षण।

- (iii) ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों तथा पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए अपनी अधिकारिता के भीतर खण्ड के लिए योजना तैयार करना।
 - (iv) जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर से संसाधनों को प्राप्त करना तथा उन्हें इन मार्गदर्शनों तथा राज्य सरकार की स्कीम के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी को जारी करना।
 - (v) प्राप्त हुए, जारी किए गए तथा उपयोग किए गए संसाधनों के उचित लेखे बनाए रखना।
 - (vi) अपनी अधिकारिता के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन/निष्पादन करने वाली एजेन्सियों द्वारा ली गई परियोजनाओं की मानीटरिंग।
 - (vii) योग्य परिवारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान स्वीकृत तथा सुनिश्चित करना।
 - (viii) अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी मजदूरों को मजदूरी की शीघ्र तथा निष्पक्ष अदायगी सुनिश्चित करना।
 - (ix) ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर ग्राम सभा द्वारा चलाए गए सभी कार्यों की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा तथा सामाजिक लेखा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियों पर शीघ्र कारवाई को सुनिश्चित करना।
 - (x) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो खण्ड के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न हों;
 - (xi) कोई अन्य कार्य जो जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ; तथा
- (2) कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर के निर्देश, नियन्त्रण तथा अधीक्षण के अधीन कृत्य करेंगे।

अध्याय – 6

मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम की
मानीटरिंग तथा
मूल्यांकन।
(धारा-4)

- 37(1) निरन्तर मानीटरिंग तथा मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि परिकल्पित परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं तथा कोई आवश्यक मध्यवर्ती सुधार उस उद्देश्य की ओर प्रभावित हैं। मानीटरिंग तथा मूल्यांकन दोनों आंतरिक तथा बाहरी तथा सभी स्तरों पर होगा। राज्य ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम को मानीटर करेगा। विभाग सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी राज्य, जिला, उपमण्डल तथा खण्ड स्तर पर क्षेत्रों में कार्य स्थलों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के सभी पहलुओं को सुक्ष्म रूप से मानीटर करें। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तर कार्यकर्ता के लिए क्षेत्रीय दौरों के निरीक्षण की अनुसूची तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार क्षेत्रीय दौरों के दौरान कुछ कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मानीटरिंग अधिकारियों, उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों, उपमण्डल अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को सलाह देगी।
- (2) ग्राम सभा ग्राम स्तर पर सभी कार्यों तथा प्रत्येक परिवार, जोकि पंजीकृत है तथा कार्य के लिए अनुरोध किया है, को दिए गए रोजगार का मानीटर करेगी। यह पंजीकरण तथा जाब कार्ड जारी करने तथा मजदूरी की समय पर अदायगी को भी मानीटर करेगी। ग्राम पंचायत व अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यों तथा कार्य स्थल पर उन द्वारा रखे मस्टररोल तथा की गई अदायगी को मानीटर करेगी।
- (3) पंचायत समिति तथा खण्ड कार्यक्रम अधिकारी पंजीकरण, प्रत्येक परिवार को प्रदान किए गए रोजगार, अदा किए गए बेरोजगारी भत्ते, सामाजिक लेखा परीक्षा, निधियों का प्रवाह, मजदूरी की समय पर तथा उचित अदायगी, कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता को मानीटर करेगी। खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर को सभी रिपोर्ट तथा विवरण भेजने के लिए जिम्मेदार होगा, जो रिपोर्टों को क्रमशः राज्य और केन्द्रीय सरकारों को भेजेगा।
- (4) जिला परिषद तथा जिला कार्यक्रम कोआरडिनेटर कार्यान्वयन के सभी पहलुओं, जिसमें पंजीकरण, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक लेखा परीक्षा, निधियों का प्रवाह, कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता तथा कार्यान्वयन के गुणात्मक पहलुओं, मजदूरी की समय पर तथा सही अदायगी शामिल है, को मानीटर करेगी।
- (5) राज्य ग्रामीण विकास विभाग समेकित रिपोर्टें तथा विवरियां भारत सरकार को (अनुबन्ध-XIII) में भेजेगी।
- (6) राज्य सरकार राज्य परिषद के अनुमोदन से राज्य गुणवत्ता मानीटरों की नियुक्ति करेगी। राज्य गुणवत्ता मानीटर को लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकथित निबन्धनों तथा शर्तों का अनुसरण करेगी।
- (7) सभी स्तरों पर मानीटरिंग की सुविधा के लिए आनलाइन व्यापक मुख्य सूचना प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।
- (8) जब कभी आवश्यक हो, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समय-समय पर मूल्यांकन और अनुसंधान अध्ययन किया जाएगा।